This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 23 जनवरी, 2021 / 03 माघ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 20 जनवरी, 2021

संख्या टी0पी0टी0–ए(3)–9 / 2020.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1)4 / 96–वॉल्यूम–I, तारीख 22 दिसम्बर, 2003, के अधिक्रमण में, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 112 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, सड़कों के स्वरूप, लोक सुरक्षा और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / जनसाधारण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' में यथा विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग की बाबत लोकहित में तुरन्त प्रभाव से हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकतम गति सीमा नियत करते है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

————————

उपबन्ध–'क'

सारणी

हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर किलोमीटरों में प्रतिघंटा अधिकतम गति

क्रम संख्या	मोटरयानों के वर्ग	राष्ट्रीय उच्चमार्ग / राज्य उच्चमार्ग (मध्य पट्टियों / विभाजकों सहित सड़कें) 25 प्रतिशत तक प्लेन / रोलिंग पारगामी ढाल	राष्ट्रीय उच्चमार्ग / राज्य उच्चमार्ग मुख्य जिला मार्ग (25 प्रतिशत से अधिक पारगामी ढाल वाला पहाड़ / खड़ा भू–भाग	नगरपालिका सीमाओं के भीतर / शहर / नगरों / ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्मित समस्त सड़कें	ग्रामीण / प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना / नाबार्ड सड़कें	5 मीटर से कम चौड़ाई वाली गांव की जीप चलाने योग्य सड़कें	स्कूलों, अस्पतालों के पास और प्रति–बंधित / सील्ड सड़कें (मार्ग)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऐसे मोटरयान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम1 प्रवर्ग यान)	65	55	30	25	25	20
2.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या आठ सीटों से अधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम2 और एम3 प्रवर्ग यान)	55	45	40	25	25	20
3.	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (एन प्रवर्ग के समस्त यान)	50	40	25	25	25	20
4.	मोटर साइकिल	60	55	30	25	25	20
5.	चौपहिया साइकिल	30	30	20	25	25	20
6.	तिपहिया यान	40	40	20	25	25	20

यदि गति अधिसूचति गति सीमा से केवल पांच प्रतिशत तक अधिक पाई जाती है तो कोई चालान नहीं किया जाएगा।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. TPT-A(3)-9/2020 dated 20th January, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 20*th January,* 2021

No. TPT-A (3)-9/2020.—In supersession of this Department's Notification No. Tpt-F(1)4/96-Vol.-I, dated 22nd December, 2003, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 112 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) having regard to the nature of roads, public safety and convenience of other road users/general public, is pleased to fix the maximum speed limit in the State of Himachal Pradesh in respect of the class of vehicles as specified in Annexure –'A', attached to this notification with immediate effect, in public interest.

By order,

Sd/-
Principal Secretary (Transport).

ANNEXURE–'A'

TABLE

Maximum Speed per hour in kilometers on roads in Himachal Pradesh

Sl. No.	Class of Motor Vehicles	NH/SH (roads with Median strips/Dividers) Plain/Rolling Cross slope upto 25%	NH/SH/MDR (Mountainous/ Steep terrain Cross slope greater than 25%	All Road within Municipal Limits/City/ Towns/ Built-up rural areas	Rural/ PMGSY/ NABARD Roads	Village Roads <5 m width Jeepable	Near Schools, Hospitals Restricted/ Sealed Roads
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising not more than eight seats in addition to the driver's seat (M1 Category Vehicles).	65	55	30	25	25	20
2.	Motor vehicles used for carriage of passengers comprising nine or more than eight seats in addition to the driver's seat (M2 & M3 Category Vehicles).	55	45	40	25	25	20
3.	More vehicles used for carriage of goods (All N Category Vehicles).	50	40	25	25	25	20
4.	Motor Cycles	60	55	30	25	25	20
5.	Quadricycle	30	30	20	25	25	20
6.	Three wheeled vehicles	40	40	20	25	25	20

No challan shall be done if speed exceeds only upto 5% of the notified speed limits.

उद्योग विभाग

(क–अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला–171 002, 11 जनवरी, 2021

संख्या इन्ड–ए(ए)3–2 / 2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत` हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक), वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां**.––(1) अधिसूचना संख्याः 5–50 / 72–एस.आई.(ईस्ट), तारीख 01–11–1973 द्वारा अधिसूचित दी हिमाचल प्रदेश इण्डस्ट्रीज डिपार्टमैण्ट क्लास–I एण्ड क्लास–II (डेवैल्पमैण्ट सैल) सर्विसीज (रैक्रूटमैंट, प्रमोशन एण्ड सर्टेन कण्डीशनज़ ऑफ सर्विसीज़) रूल्ज़, 1973 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

––––––––

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक), वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम**.––वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक)

2. **पदों की संख्या**.––01 (एक)

3. **वर्गीकरण**.––वर्ग–I (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.––***(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे–बैण्ड* : ₹ 15600–39100 जमा ₹ 5400 ग्रेड–पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ 15–क में दिए ब्यौरे के अनुसार ₹ 21,000 / – प्रतिमास।

5. **''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.––**लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.––18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा / होगी;

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––*(क) अनिवार्य अर्हता(एं)* : (i) ए.आई.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. से सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से नियमित प्रणाली के आधार पर यांत्रिक इंजीनियरिगं में बी.ई. / बी.टैक की उपाधि।

(ii) किसी सरकारी या निगमित सेक्टर के अधीन औद्योगिक प्रबन्धन / औद्योगिक इंजीनियरिंग में कम से कम 05 (पांच) वर्ष की अवधि का अर्हता पश्च व्यावसायिक अनुभव।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं) : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––*आयु* : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकण्डमैंट/ स्थानान्तरण किया जाएगा.––लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.––*(क) विभागीय प्रोन्नति समिति* : लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग /अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.––**संविदा के आधार पर नियुक्त वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक) को ₹ 21,000/– की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 630/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड–पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.–– अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा

जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) / लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के चयन के लिए समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 21,000 की नियत संविदात्मक रकम (जो पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 630 / – (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवासन (समापन) हो जायेगा, तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की इस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0– एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेन्शन नियम, तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध, संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों के लिए ही पात्र होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी / किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–ख

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य अतरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति.....पुत्र / पुत्री श्री.....निवासी..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''प्रथम पक्षकार''** कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् **''द्वितीय पक्षकार''** कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त **प्रथम पक्षकार** को लगाया है और **प्रथम पक्षकार** वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :––

1. यह कि प्रथम पक्षकार वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (यांत्रिक) के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आखिरी कार्य दिवस

अर्थात्..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 21,000 प्रतिमास होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 630 / – (पद के पे बैण्ड का न्यनूतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ / चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा / सकेगी।

4 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदो के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अम्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. Ind.-A(A)3-2/2018 dated 11-01-2021 as required under Article 348 (3) of the constitution of India]

INDUSTRIES DEPARTMENT
A-Section

NOTIFICATION

Shimla-171002, 11th January, 2021

No. Ind.-A(A)3-2/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal

Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Senior Technical Officer (Mechanical), Class-I (Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Industries, Senior Technical Officer (Mechanical), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Repeal & savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Senior Technical Officer (Mechanical), Class-I & Class-II (Development Cell) Services (Recruitment, Promotion and certain conditions of service) Rules, 1973 notified *vide* Notification No. 5-50/72-SP (Estt.) dated 01-11-1973, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under rule 2 (1) *supra*, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (Industries).

———————

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SENIOR TECHNICAL OFFICER (MECHANICAL) CLASS-I (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post.—Senior Technical Officer (Mechanical)

2. Number of Post.—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—*(i) Pay Band for regular incumbent(s) :* ₹ 15600-39100+ ₹ 5400/- Grade Pay.

(*ii) Emoluments for contract employee(s) :* ₹ 21,000/- P.M. as per details given in Column No.15-A.

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Not Applicable

6. Age for direct recruitment.—Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) *Essential Qualification(s) :* (i) B.E./B.Tech. Degree in Mechanical Engineering on regular mode from an Institute/University duly recognized by the AICTE/UGC.

(ii) Post qualification professional experience of atleast 05 year's duration in Industrial Management/Industrial Engineering under Government or Corporate Sector.

(b) Desirable Qualification : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age* : Not applicable.

Educational Qualification : Not applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—*(a) Departmental Promotion Committee :* Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee : As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C.) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of Interview/ Personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of Interview/Personality test preceded by a Screening test (objective type)/ Written test or Practical test or Physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/ authority as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(*a*) Under this policy the Senior Technical Oficer (Mechanical), in the Department of Industries, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed /extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC : The Additional Chief Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(*c*) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Senior Technical Officer (Mechanical) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 21,000/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of @ ₹ 630/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Additional Chief Secretary/Pr. Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of interview/personality test or if considered

necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/ written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e*. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 21,000/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹ 630/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calander year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non- Gazetted Government Servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardious nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her apointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

———————

Annexure-B

Form of Contract/ Agreement to be executed between the Senior Technical Officer (Mechanical), Class-I (Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh through Additional Chief Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this ..... day of ..... in the year.....between Sh./Smt..... s/o/d/o Shri....., r/o ..... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Additional Chief Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Senior Technical Officer (Mechanical) on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Senior Technical Officer (Mechanical) for a period of one year commencing on the day of ..... and ending on the day of ..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on ..... and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. That the contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 21,000/- per month. The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount of Rs. 630/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

3. The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellete Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 05 days' special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract appointee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Un-authorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the medical officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. .....
.....
.....
(Name and Full Address) Signature of the FIRST PARTY

2. .....
.....
.....
(Name and Full Address) Signature of the SECOND PARTY

सामान्य प्रशासन विभाग

(गोपनीय एवं मंत्रिपरिषद्)

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 जनवरी, 2021

संख्याः जी.ए.डी.(सी.सी.) 5–2/71–एल.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5–2/71–जीएडी(सीसी), तारीख 25 जनवरी, 1971 द्वारा अधिसूचित दी बिज़नैस ऑफ दी गर्वनमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलॉकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलोकेशन) 163वां संशोधन रूल्ज, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. **शेड्यूल का संशोधन**.––दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलोकेशन) रूल्ज, 1971 से संलग्न शेड्यलू में शीर्षक **"PERSONNEL DEPARTMENT"** के उप शीर्षक **"(f) ADMINISTRATIVE TRIBUNAL"** के अधीन विद्यमान उपबंध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"All residuary matters relating to the erstwhile Himachal Pradesh Administrative Tribunal".

आदेश द्वारा,

अनिल खाची,
मुख्य सचिव।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification No. GAD (CC)5-2/71-L dated 20-01-2021as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171002, 20th January, 2021

No. GAD (CC) 5-2/71-L.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971 notified *vide* this Department Notification No. 5-2/71-GAD(CC), dated 25th January, 1971, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) 163rd Amendment Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of SCHEDULE.—In the SCHEDULE appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, in the heading "**PERSONNEL DEPARTMENT**", for the existing provisions under sub-heading "**(f) ADMINISTRATIVE TRIBUNAL**", the following shall be substituted, namely:—

"All residuary matters relating to the erstwhile Himachal Pradesh Administrative Tribunal".

By order,

ANIL KHACHI,
Chief Secretary.

GOVERNOR'S SECRETARIAT
HIMACHAL PRADESH
RAJ BHAVAN, SHIMLA-171002

NOTIFICATION

Dated, the 21st January, 2021

No. 22-1/71-GS.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Shri Het Ram, Supdt. Grade-II is hereby promoted as Section Officer, Class-I (Gazetted) in the pay band of Rs. 15600-39100+5400 GP per month purely on *adhoc* basis against the vacant post of Under Secretary with immediate effect.

Sd/-
Secretary to Governor,
Himachal Pradesh.

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

आशा देवी पुत्री स्व0 श्री नर सिंह, गांव व डाकघर राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा . . प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 4478 / 2020 दिनांक 18–12–2020 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA / 2020/20691, दिनांक 27–11–2020, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अर्प्याप्यता प्रमाण–पत्र, (5) आधार कार्ड, (6) राशन कार्ड, (7) पैन कार्ड, (8) शपथ पत्र वाशिंदगान देह जिसमें आवेदिका आशा देवी पुत्री स्व0 श्री नर सिंह, गांव व डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 27–11–2020 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवेदिका आशा देवी पुत्री स्व0 श्री नर सिंह, गांव व डाकघर राजनगर, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 15–02–1970 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका आशा देवी पुत्री स्व0 श्री नर सिंह, गांव व डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01–01–2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

———————

In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Sh. Gaurav Thapa s/o Shri Dhani Ram, r/o Kesri Niwas, Ward No. 3, Near Harsh Palace Kather, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Gaurav Thapa s/o Shri Dhani Ram, r/o Kesri Niwas, Ward No. 3, Near Harsh Palace Kather, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and

other documents for entering the date of birth of his daughter namely Hamika Thapa *i.e.* 28-11-2000 at home Kesri Niwas, Ward No. 3, Near Harsh Palace Kather, Tehsil & District Solan, but her date of birth could not be entered in the record of Municipal Council Solan.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Hamika Thapa d/o Sh. Gaurav Thapa s/o Shri Dhani Ram, r/o Kesri Niwas, Ward No. 3, Near Harsh Palace Kather, Tehsil & District Solan, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 06-02-2021 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7 th day of January, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है